

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003222013

दांडिक प्रकरण क.-383 / 13

संस्थापित दिनांक-29.10.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
01-देवीलाल पुत्र बाबूलाल कुशवाह उम्र 27 साल 02-धनीराम पुत्र रामरतन कुशवाह उम्र 27 साल 03-सोनू पुत्र देवीलाल कुशवाह उम्र 19 साल 04-राजू पुत्र रामरतन कुशवाह उम्र 22 साल निवासीगण गोधन चंदेरी।आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री ए के चौरसिया अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 18.01.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 294, 506बी, 34, 341 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323, 341 एवं 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी वृंदावन ने दिनांक 12.08.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह रात 10 बजे खोडा वाले घर से खाना खाकर गांव वाले घर सोने जा रहा था जैसे ही बाबूलाल के घर के सामने पहुंचा तभी उसका लडका देवीलाल मिला और कहने लगा कि कहां जा रहा है, उसने कहा कि घर जा रहा हूं फिर सगाई की बात पर से उनमें कहासुनी होने लगी और देवीलाल उसे मादरचोद, बहनचोद की गालियां देने लगा। जब उसने गाली देने से मना किया तब घर के अंदर से सोनू, धनीराम, राजू लाठी लेकर आ गए और उसकी लाठियों से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 285/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 341, 294, 323, 324, 506बी, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 324, 323/34, 341, 506 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 11.08.13 को समय रात 10 बजे या उसके लगभग थाना चंदेरी ग्राम गोधन स्थित गांव का आम रास्ता पर परिवादी/आहत वृंदावन को फर्सा जो कि एक काटने का उपकरण है, से स्वेच्छया उपहति कारित की जो कि धारा 324 भादवि के अंतर्गत दंडनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 वृंदावन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 वृंदावन ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण उसके रिश्तेदार हैं। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके साथ गाली गलौच कर दी थी और धक्का मुक्की कर दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरसे से उसे मारा गया था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी के कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ फरसे से मारपीट की गई थी। प्रकरण में उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा लाठियां मूल्यहीन होने से अपीलवाधि पश्चात नष्ट की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)